(79)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक 1331–तीन/1999 निगरानी – विरूद्व आदेश दिनांक 16–7–1999 पारित व्दारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण कमांक 294/1994–95 अपील

रामगोपाल पुत्र हीरालाल
निवासी ग्राम गंज देवलिहन
तहसील त्योंथरजिला रीवा ——आवेदक

विरूद्व

1– हेतलाल (मृत) पुत्र सुर्यदीन शुक्ला
वारिस
अ– लवकुश ब– राजेन्द्र पुत्रगण हेतलाल
स– श्रीमती शुक्ला पत्नि हेतलाल
द– गायत्री पुत्री हेतलाल पत्नि मुन्नीप्रसाद
इ– श्रीमती गुडडी पुत्री हेतलाल पत्नि राजू मिश्रा
2– रामआसरे 3– रामगोविन्द पुत्रगण हीरालाल
4– रामलखन 5– रामनिरंजन 6– नाथराम पुत्रगण मोतीलाल
7– दयाशॅकर पुत्र बद्रीविशाल तिवारी सभी निवासी
निवासी ग्राम गंज देवलिहन तहसील त्योंथरजिला रीवा ——अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री के.के.द्विवेदी)
(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित–एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक14 –09–2017 को पारित)

अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 294/94–95 अपील में पारित आदेश दिनांक 16–7–99 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि उभय पक्ष के बीच सामिलाती भूमि के

बटवारे का आवेदन आने पर नायव तहसीलदार वृत्त जवां ने प्रकरण कमांक 59 अ—27/1989—90 दर्ज किया तथा आदेश दिनांक 8—1—1992 पारित करके भूमि का बटवारा कर दिया। इस आदेश के विरूद्व रामश्रय, रामगोपाल, रमागोविन्द व्दारा अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर के समक्ष इस आशय की अपील प्रस्तुत की गई कि भूमि सर्वे कमांक 225 एंव 489 सामिलाती नहीं है जिसका किया गया बटवारा गलत है इसलिये अपील स्वीकार की जावे। अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर ने प्र0क0 11 अ—6/1991—92 अपील में पारित आदेश दिनांक 23—1— 1995 से अपील स्वीकार की एंव नायव तहसीलदार जवां का आदेश दिनांक 8—1—92 निरस्त करते हुये प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि सभी हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई की जांय एंव उन्हीं भूमियों का बटवारा किया जाय जो समस्त खातेदारों के नाम से दर्ज हो। जाचोरांत पुनः आदेश पारित किया जावे। अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर के इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 294/94—95 अपील में पारित आदेश दिनांक 16—7—99 से अपील स्वीकार की एंव अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 23—1—95 निरस्त करते हुये नायव तहसीलदार का आदेश दिनांक 8—1—1992 स्थिर रखा । इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में वर्णित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार करने एंव अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 16—7—99 में , अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर के आदेश दिनांक 23—1— 1995 एंव नायव तहसीलदार के आदेश दिनांक 8—1—1992 के परीक्षण पर स्थिति यह है कि अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर ने प्र0क0 11 अ—6/ 1991—92 अपील में पारित आदेश दिनांक 23—1— 1995 से अपील स्वीकार करते हुए आदेश में अंकित किया है कि —

" जहां तक सर्वे नंबर 489 का सम्बन्ध है वह अपीलांट के हिस्से में है सर्वे नंबर 225 संयुक्त परिवार की भूमि होने से सभी भूमियों के साथ इसका बटवारा किया जाना न्याय हित में ही है सभी को हिस्से अनुसार भूमि मिली है आदि आदि।" प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित कर दिया।

अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 294/94—95 अपील में पारित आदेश दिनांक 16—7—99 में निर्णीत किया है कि सहखातेदारों के मध्य

आपसी विभाजन हुआ, उनकी जानकारी एंव सहमति से हुआ है वे तहसील न्यायालय में पक्षकार भी है तथा उन्हें सुनने के पश्चात ही नायव तहसीलदार ने आदेश पारित किया है इसलिये अब दुवारा उन्हें सूचना एंव सुनवाई का अवसर देने का कोई औचित्य एंव आवश्यकता नहीं है। जहां तक भूमि खसरा नं. 489 का प्रश्न है यह अपीलांर्थी की बटवारा पुल्ली में नहीं है न ही अपीलार्थी इस पर अपने स्वत्व का दावा करता है और न ही नायव तहसीलदार ने इस खसरा नंबर का नामांतरण अपीलार्थी के नाम किया है।

अनुविभागीय अधिकारी तथा अपर आयुक्त के आदेशों के तुलनात्मक विश्लेषण करने पर स्थिति यह है कि पक्षकारों की सहमति से बटवारा किया गया है यदि कोई पक्षकार किसी भूमि पर निजी स्वत्व का अभिकथन करता है वह सिविल न्यायालय से स्वत्व का विवाद निराकृत कराने हेतु स्वतंत्र है सहमति अनुसार हुये बटवारे को निरस्त कर पुनः सुनवाई हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में अनुविभागीय अधिकारी ने त्रृटि की है जिसे अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 294/94—95 अपील में पारित आदेश दिनांक 16—7—99 से सुधार दिया है जिसके कारण अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा का आदेश दिनांक 16—7—99 हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 294/94—95 अपील में पारित आदेश दिनांक 16—7—99 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर